

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-25

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

\*25. डा. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा दूरदराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या दौसा और बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध कराने हेतु कोई नई परियोजना विचाराधीन है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

“जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 25 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग) : भारत सरकार ने सभी घरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से हमेशा राज्यों के प्रयासों को संपूरित किया है। देश की वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए उपर्युक्त स्कीमों में कुल मिलाकर ~1.85 लाख करोड़ रुपये व्यय किए गए।

दिसंबर, 2014 में आरंभ की गई, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, देशभर में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया गया। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य के 427 गांव भी शामिल थे। जैसा कि सभी राज्य सरकारों ने सूचित किया है, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी गांवों और सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य के तत्वावधान में दिनांक 31.03.2022 तक राजस्थान राज्य के 20,75,522 घरों सहित, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, मार्च, 2019 से पूर्व अभिचिन्हित सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें आदिवासी, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्र के घर भी शामिल थे।

हाल ही में, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के

उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और भारत सरकार की सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपये है। आरडीएसएस का कवरेज सार्वभौमिक है और यह मुख्य रूप से आदिवासी, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित उपभोक्ताओं के लाभ के लिए परियोजना क्षेत्रों के उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण पर संकेंद्रित है। अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र सरकार, इस समय चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) स्कीम के अंतर्गत, उन घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और अधिक सहायता प्रदान कर रही है, जो सौभाग्य के अंतर्गत छूट गए थे। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए पीवीटीजी विकास मिशन हेतु पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत सभी अभिचिन्हित लाभार्थी घर वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।

आरडीएसएस के अंतर्गत, राजस्थान की डिस्कॉमों में कुल 18,627 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्थान में परियोजना का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान
1	स्मार्ट मीटरिंग का कार्य	9,715	1,686
2	अवसंरचना कार्य	8,912	5,348
	कुल	18,627	7,034

इसके अतिरिक्त, शेष बचे 1.9 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 459.19 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) और (ङ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 235.37 करोड़ रुपये और दौसा संसदीय क्षेत्र में 297.67 करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	मद	यूनिट	दौसा संसदीय	बांसवाड़ा संसदीय
---------	----	-------	-------------	------------------

			क्षेत्र	क्षेत्र
1	केबलिंग कार्य	सीकेएम	951.68	1489
2	एचवीडीएस			
2क	11केवी	सीकेएम	492.46	609.96
2ख	नया डीटीआर	सं.	1,394	180
3	फीडर द्वािभाजन	सीकेएम	994.42	666.48
4	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	1,714.03	3047.03
5	पुराने/खराब कंडक्टरों को बदलना	सीकेएम	-	375.56
6	नया विद्युत सब स्टेशन	सं.	12	3
7	विद्युत सबस्टेशन का संवर्धन	सं.	-	2
8	नई 33 केवी लाइन	सीकेएम	73.82	26
9	नई 11 केवी लाइन	सीकेएम	101.97	-
10	ईवी चार्जिंग स्टेशन	सं.	6	2
11	नए उपभोक्ताओं के लिए बख्तरबंद केबल	केएमएस	794.47	1197
12	संधारित्र बैंक	सं.	44,323	-

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	दौसा संसदीय क्षेत्र	बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र
1	संस्वीकृत परियोजना लागत	करोड़ रुपये	-	32.36
2	घरों की संख्या	सं.	-	19,179

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-199

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

अडानी द्वारा कोयला आयात की अधिक कीमत लगाना

199. श्री जवाहर सरकार:

श्री एम. शनमुगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अडानी द्वारा सीधे या सहयोगियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कोयला आयात की अधिक कीमत वसूलने के संबंध में 12 अक्टूबर, 2023 को 'फाइनेंशियल टाइम्स' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की है;
- (ख) क्या सरकार ने आयातित कोयले के प्रासंगिक लागत की तुलना कोयले के तुलनीय ग्रेड की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय लागत से की है;
- (ग) क्या सरकार ने अधिक बिल के कारण विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त व्यय का पता लगाया है;
- (घ) जिन विद्युत संयंत्रों को इस अत्यधिक प्रभारित आयातित कोयले को मिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा उनको कितना नुकसान हुआ; और
- (ङ) विदेशी मुद्रा की जानबूझकर हो रही हानि और ग्राहकों द्वारा बिजली के बिलों की अधिक कीमत वसूले जाने के लिए ग्राहकों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय का सरोकार टीपीपीज़ में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि विद्युत की मांग को पूरा किया जा सके। ताप विद्युत संयंत्र (डीसीबी या आईसीबी) द्वारा कोयला, चाहे घरेलू हो या आयातित, अलग से और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदा जाता है। चूँकि कोयला 1993 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत है, इसलिए ताप विद्युत संयंत्र/उत्पादक अपनी प्राथमिकता और अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से कोयले का आयात (आयातित कोयले का जीसीवी मूल्य अधिक है और इसलिए इसकी गुणवत्ता बेहतर है) कर रहे हैं। ऐसे कई विद्युत संयंत्र हैं जो केवल आयातित कोयले पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्र मिश्रण प्रयोजन के लिए वर्ष 2009 से कोयले का आयात कर रहे हैं। मिश्रण के लिए आयात वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक 47.6 मीट्रिक टन से लेकर वर्ष 2019-20 में 23.8 मीट्रिक टन के बीच रहा। वर्ष 2020 में, विद्युत मंत्रालय ने राज्यों को मिश्रण के लिए आयात कम करने की सलाह दी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 में आयात घटकर 8.1 मीट्रिक टन तक घट गया। डीसीबी और आईसीबी द्वारा कोयला आयात के संबंध में सूचना सीईए द्वारा नियमित रूप से एकत्र की जाती है और निगरानी की जाती है।

2. पिछले 14 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में (अक्टूबर, 2023 तक) ताप विद्युत संयंत्र द्वारा कोयले का आयात इस प्रकार है:

विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले का आयात			
			आंकड़े मिलियन टन में
वर्ष	मिश्रण के लिए	आयातित कोयला आधारित संयंत्रों	कुल आयात

	आयात	द्वारा आयात	
2009-10	18.8	4.4	23.2
2010-11	21.1	9.4	30.5
2011-12	27.3	17.6	44.9
2012-13	31.1	31.6	62.7
2013-14	38.6	40.9	79.5
2014-15	47.6	42.5	90.1
2015-16	37.1	44.0	81.1
2016-17	19.8	46.3	66.1
2017-18	17.0	39.4	56.4
2018-19	21.4	40.3	61.7
2019-20	23.8	45.5	69.3
2020-21	10.4	35.1	45.5
2021-22	8.1	18.9	27.0
2022-23	35.1	20.5	55.6
2023-24 (अप्रैल-अक्तूबर)	13.6	21.7	35.3

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डीसीबी के लिए कोयले के आयात में वर्ष 2019-20 से गिरावट आ रही थी, जिसका मुख्य कारण घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के कारण घरेलू कोयले की उपलब्धता में वृद्धि थी। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने, वित्त वर्ष 2020-21 में, जेनकोज को अपने आयात को कम करने की सलाह दी क्योंकि कोयला मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि पर्याप्त घरेलू कोयला उपलब्ध है। तथापि, जुलाई 2021 के बाद से मांग बढ़ने के कारण ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत बढ़ गई और दैनिक आधार पर घरेलू कोयले की आपूर्ति खपत से कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कोयले का स्टॉक कम हो गया और संयंत्रों पर स्टॉक दिनांक 30.06.2021 को 28.7 मिलियन टन (एमटी) से घटकर दिनांक 30.09.2021 को लगभग 8.1 मिलियन टन (एमटी) हो गया। इसलिए, दिसंबर 2021 में, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य जेनकोज और आईपीपीज़ को अपनी आवश्यकताओं के 4% और केंद्रीय जेनकोज को 10% की दर से आयात करने की सलाह दी। अप्रैल, 2021 माह की तुलना में अप्रैल, 2022 माह के दौरान विद्युत की मांग और विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत लगभग 12% बढ़ गई। विद्युत की अधिक मांग और खपत से कम कोयले की प्राप्ति होने के कारण कोयले का स्टॉक कम हो जाने के मद्देनजर, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 को राज्यों और आईपीपीज़ को मानसून के मौसम के दौरान पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के लिए अपनी आवश्यकता का 10% कोयला आयात करने की सलाह दी। घरेलू कोयले की प्राप्ति और खपत के बीच का अंतर जारी रहा और कमियों को आंशिक रूप से आयातित कोयले से पूरा किया गया।

3. अप्रैल-सितंबर 2022 (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही) के दौरान 385 मीट्रिक टन (घरेलू: 359 मीट्रिक टन + आयात:  $1.4 \times 18.9$  मीट्रिक टन) की खपत के निमित्त घरेलू कोयले की प्राप्ति लगभग 355 मीट्रिक टन थी। इस अवधि के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की खपत के बीच का अंतर लगभग 1.6 लाख टन/दिन था। इस स्थिति में सुधार होने पर, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 01.08.2022 को जेनकोज को स्टॉक स्तरों की निरंतर निगरानी के साथ घरेलू कोयला आपूर्ति तथा स्टॉक स्थिति (आवश्यकता आधारित मिश्रण) को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर मिश्रण के संबंध में निर्णय लेने की सलाह दी।

सितंबर, 2022 और जनवरी, 2023 के महीनों के बीच दैनिक कोयले की खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच का अंतर 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन के बीच था। यदि मिश्रण के लिए आयात नहीं किया गया होता, तो सितंबर, 2022 में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक घटकर शून्य हो गया होता और यह इसी प्रकार जारी रहता, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत कटौतियां एवं ब्लैकआउट होते। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनकोज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज़) को मिश्रण के

लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से भार के अनुसार 6% की दर से कोयले का आयात करने की सलाह दी, ताकि सितंबर, 2023 तक उनके विद्युत संयंत्रों में सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त कोयला स्टॉक हो।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में, विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत आपूर्ति की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और यह पाया गया है कि घरेलू कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ देश में विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों में कोयले का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2023 की इसी अवधि के संबंध में, कोयला आधारित उत्पादन में औसत वृद्धि 8.6% थी तथा डीसीबी संयंत्रों के स्टॉक में 15.3 मीट्रिक टन की कमी थी (माहवार स्थिति तालिका में दिखाई गई है):

वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 2023 तक) के दौरान कोयला आधारित उत्पादन में वृद्धि, घरेलू कोयले की प्राप्ति एवं डीसीबी संयंत्रों में खपत का सार इस प्रकार है:

कोयला आधारित उत्पादन में वृद्धि, घरेलू कोयले की प्राप्ति और डीसीबी संयंत्रों में खपत का सारांश							
माह	वित्तीय वर्ष 23 के संबंध में कोयला आधारित उत्पादन में % वृद्धि	घरेलू कोयले की प्राप्ति (एमटी)	घरेलू कोयले की खपत (एमटी)	मिश्रण के लिए आयातित कोयले की खपत (एमटी)	कुल खपत (घरेलू + 1.4 x आयात) (एमटी)	अंतर (प्राप्ति - खपत) (एमटी)	डीसीबी संयंत्र स्तर पर कुल स्टॉक (एमटी)
अप्रैल-23	0%	65.4	66.4	2.2	69.5	-4.1	34.6
मई-23	2%	67.5	66.3	2.2	69.4	-1.9	33.8
जून-23	3%	63.9	64.7	2.2	67.7	-3.9	35.0
जुलाई-23	8%	63.0	63.2	1.6	65.4	-2.4	33.6
अगस्त-23	14%	61.8	66.1	2.0	68.9	-7.1	33.1
सितंबर-23	12%	59.9	65.5	1.9	68.1	-8.3	28.2
अक्टूबर-23	25%	65.5	68.8	2.3	72.0	-6.5	21.8
<b>2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)</b>	<b>8.6%</b>	<b>447.0</b>	<b>460.9</b>	<b>14.4</b>	<b>481.1</b>	<b>-34.2</b>	<b>19.3</b>

प्रतिदिन आधार पर

कोयला आधारित उत्पादन में सारांश वृद्धि, घरेलू कोयले की प्राप्ति और डीसीबी संयंत्रों में खपत						
माह	वित्तीय वर्ष 23 के अंतर्गत कोयला आधारित उत्पादन में % वृद्धि	घरेलू कोयले की प्राप्ति (एमटी/दिन)	घरेलू कोयले की खपत (एमटी/दिन)	मिश्रण के लिए आयातित कोयले की खपत (एमटी/दिन)	कुल खपत (घरेलू + 1.4 x आयात) (एमटी/दिन)	अंतर (प्राप्ति - खपत) (एमटी/दिन)
अप्रैल-23	0%	2.18	2.21	0.07	2.32	-0.14
मई-23	2%	2.18	2.14	0.07	2.24	-0.06
जून-23	3%	2.13	2.16	0.07	2.26	-0.13
जुलाई-23	8%	2.03	2.04	0.05	2.11	-0.08
अगस्त-23	14%	1.99	2.13	0.06	2.22	-0.23
सितंबर-23	12%	2.00	2.18	0.06	2.27	-0.28
अक्टूबर-23	25%	2.11	2.22	0.07	2.32	-0.21
	<b>8.6%</b>					

5. परिवर्तनीय मानसूनी वर्षा के कारण वित्तीय वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में जलविद्युत उत्पादन में लगभग 14% की गिरावट दर्ज की गई है। सिक्किम में हाल ही में

आई बाढ़ के कारण लगभग 2 गीगावाट जलविद्युत क्षमता समाप्त हो गई है। दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में जलाशयों का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर जलाशय ऊर्जा मात्रा कम हो गई है। इससे कोयला आधारित तापीय उत्पादन पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

इसलिए, देश भर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25.10.2023 के पत्र के माध्यम से सभी जेनकोज (केंद्रीय, राज्य तथा आईपीपी) को वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि से मार्च, 2024 तक न्यूनतम 6% (भार के अनुसार) मिश्रण के लिए कोयले का आयात जारी रखने का निर्देश दिया।

6. कैलोरी मान में अंतर के कारण आयातित कोयले की कीमत की तुलना घरेलू कोयले की कीमत से नहीं की जा सकती है। आयातित कोयले का मूल्य निर्धारण आयात किए गए कोयले के अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, उत्पत्ति के स्रोत, समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे अन्य कारकों से जुड़ा हुआ है जो पूरी तरह से गतिशील है और अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलता रहता है। प्रत्येक उत्पादक कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले का आयात करती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन की लागत इस्तेमाल किए गए आयातित कोयले की मात्रा तथा आयातित कोयले की कीमत पर निर्भर करती है।

7. डिस्कॉम्स विद्युत अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत एसईआरसी/सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ पर उत्पादकों से विद्युत खरीदती हैं। विनियामक मानदंडों के अनुसार सभी इनपुट लागतों - ईंधन/परिवहन/ओपंडएम लागत/प्रशासनिक लागत आदि की जांच करने के बाद टैरिफ निर्धारित करता है। यदि उत्पादक द्वारा दावा की गई कोई लागत एसईआरसी/सीईआरसी द्वारा अत्यधिक पाई जाती है तो वे इसे टैरिफ में शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए, यदि कोई उत्पादक ईंधन लागत बढ़ाता है, तो विनियामक - एसईआरसी/सीईआरसी - इसे टैरिफ में शामिल नहीं करेंगे। विनियामक विभिन्न लागतों के लिए मानदंड भी निर्धारित करता है - और मानदंडों से अधिक लागतों को शामिल करने की अनुमति नहीं देता है। ईंधन लागत और परिणामी टैरिफ का मुद्दा जेनको और विनियामक के बीच है - इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यदि कोई डिस्कॉम अथवा जेनको किसी विनियामक के आदेश से असंतुष्ट होती है, तो वे एपटेल - अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।

8. डिस्कॉमों द्वारा जेनकोज से विद्युत की खरीद की अन्य क्रियापद्धति धारा 63 - एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा - के अंतर्गत आती है। यदि बोली प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी होती है तो विनियामक टैरिफ को अपनाएगा। टैरिफ पर सहमति होने और विनियामक द्वारा अपनाए जाने के बाद ही डिस्कॉम्स विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

9. उत्पादक के लिए तीसरा विकल्प एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री है - जो खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य करता है। खुली प्रतिस्पर्धा के मामले में इनपुट लागत अप्रासंगिक है - यदि कुछ उत्पादक की विद्युत की लागत अधिक है तो वह नहीं बिकेगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-300

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए निधि

300. श्री वाइको:

श्री एम. शनमुगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) विकसित करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, और यदि हां, तो कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता किस हद तक कम होगी; और
- (घ) आगामी पांच वर्षों में पीक ऑवर डिमांड के दौरान बिजली वितरण कंपनियों को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से कितनी अधिशेष ऊर्जा दिए जाने की उम्मीद है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ख) : जी हां। मंत्रिमंडल ने दिनांक 06.09.2023 को हुई अपनी बैठक में 4,000 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम अनुमोदित की। इस स्कीम के अंतर्गत 3 वर्ष (वर्ष 2023-24 से 2025-26) की अवधि के दौरान परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाएगा। वर्ष 2030-31 तक धनराशि का वितरण 5 किशतों में किया जाएगा। 4,000 मेगावाट घंटे की बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए वर्ष 2023-26 की अवधि के दौरान बीईएसएस प्रणाली की लागत 2.40 से 2.20 करोड़ रुपये/मेगावाट घंटे की रेंज में होने का अनुमान है जो कि 3,760 करोड़ रुपये के बजट से 9,400 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत में तब्दील हो जाती है।

बीईएसएस के लिए पूंजीगत लागत का 40% तक वीजीएफ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। बीईएसएस के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों का चयन स्कीम और बोली दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) से (घ) : 4,000 मेगावाट घंटे के कार्यान्वयन से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के साथ बीईएसएस को चार्ज करने पर विचार करते हुए कार्बन उत्सर्जन (सीओ<sub>2</sub>) में लगभग 1.3 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की वार्षिक कमी होने की अपेक्षा है।

डिस्कॉमों और अन्य लाभार्थियों के उपयोग के लिए, उनके विशिष्ट उपयोग पैटर्न के आधार पर व्यस्ततम समय के दौरान 4,000 मेगावाट घंटे तक ऊर्जा उपलब्ध होगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-313

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

घरों का विद्युतीकरण

313. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकरण घरों की संख्या और उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या और उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) सौभाग्य योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान कितने घरों को विद्युतृत किया गया है, इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने पूरे देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों के साथ राज्य डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकरण के पश्चात, राज्य डिस्कॉमों/विद्युत विभागों को यह प्रमाणित करने को कहा गया था कि उन्होंने सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कर दिया है। दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने यह प्रमाणित किया कि उन्होंने सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कर दिया है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2021 तक, देश भर में 2.82 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) नामक एक अन्य स्कीम के माध्यम से 4.43 लाख घरों को विद्युतीकृत किया गया था। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2022 तक भारत सरकार की पहल के अंतर्गत कुल 2.86 करोड़ घरों को शामिल किया गया। शामिल किए गए घरों के

राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। उपर्युक्त दोनों स्कीमें अर्थात् सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, डिस्कॉमों से कनेक्शन चाहने वालों को कनेक्शन प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र सरकार, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 30.01.2019 (सौभाग्य के निष्पादन की अवधि) से पूर्व विद्यमान, परंतु जो डिस्कॉमों द्वारा किसी प्रकार शेष रह गए थे, किसी भी प्रकार से शेष बचे घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों की और अधिक सहायता कर रही है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लगभग 4.96 लाख शेष घरों के विद्युतीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित घरों की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 313 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घर उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त स्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अधिक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507#	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुडुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
कुल		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

# एपीडीसीएल द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक समापन के अनुसार 381507 घरों का विद्युतीकरण किया गया है और संशोधित समापन के अनुसार 368610 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। तथापि, असम राज्य के अतिरिक्त घरों के डीडीयूजीजेवाई के संबंध में अंतिम समापन को अभी अनुमोदन दिया जाना है।

\*सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-314  
जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

314. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और तत्संबंधी स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में मंत्रालय के प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं और वे कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश के एनटीपीसी संयंत्रों में नियमानुसार गैर-अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा भरे हुए और रिक्त पदों संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पादित विद्युत के स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) : मध्य प्रदेश में प्रमुख विद्युत संयंत्रों तथा पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत की मात्रा के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : एनटीपीसी में गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति कंपनी स्तर पर की जाती है, न कि संयंत्र स्तर पर।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 314 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले 2 वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पादित विद्युत की मात्रा के ब्यौरे

श्रेणी	ईंधन	उत्पादन (एमयू)		
		2021-22	2022-23	2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)
तापीय	कोयला	129634.5	135838.5	84449.31
बृहत जल विद्युत	हाइड्रो	4686.72	7309.07	4505.03
नवीकरणीय	पवन	4346.66	4486.72	3465.19
	सौर	4006.70	3839.30	2094.33
	बायोमास	25.35	38.76	50.52
	खोई	82.20	113.05	9.94
	लघु जल विद्युत	221.43	357.97	273.43
	अन्य	34.40	36.93	14.58
<b>कुल</b>		<b>143037.9</b>	<b>152020.3</b>	<b>94862.328</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 314 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

मध्य प्रदेश में प्रमुख विद्युत संयंत्रों तथा पिछले 2 वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत की मात्रा के ब्यौरे

क्षेत्र	यूटीलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	ईंधन	दिनांक 31.10.2023 तक की स्थिति के अनुसार निगरानी क्षमता मेगावाट में	2021-22 (एमयू)	2022-23 (एमयू)	2023-24 (अक्टूबर, 23 तक) एमयू
केन्द्रीय क्षेत्र	जेएचएपीएल	सियोनी टीपीपी	कोयला	600	3708.01	3727.99	2075.53
	एनएचडीसी	इंदिरा सागर एचपीएस	हाइड्रो	1000	1717.17	3661.11	2242.47
		ओंकारेश्वर एचपीएस	हाइड्रो	520	928.24	1782.38	1117.94
	एनटीपीसी लि.	गादरवाड़ा टीपीपी	कोयला	1600	7965.67	9390.94	5536.36
		खरगोन एसटीपीपी	कोयला	1320	6343.97	5630.45	4223.72
विंध्याचल एसटीपीएस		कोयला	4760	35730.28	37337.16	21472.06	
निजी क्षेत्र	बीएलएपीपीएल	निवाड़ी टीपीपी	कोयला	90	167.99	318.71	316.27
	एस्सार पीएमपीएल	महान टीपीपी	कोयला	1200	3431.14	3782.92	3787.08
	जेपीपीवीएल	बीना टीपीएस	कोयला	500	2508.67	2979.74	1847.81
		निगरी टीपीपी	कोयला	1320	8381.9	8036.35	5675.02
	एमबीपीएमपीएल	अनूपपुर टीपीपी	कोयला	1250	7715.95	7518.22	5298.84
एसपीएल	सासन यूएमटीपीपी	कोयला	3960	32673.14	29763.91	18396.93	
राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	अमरकंटक एक्स टीपीएस	कोयला	210	1507.83	1433.97	1046
		बाणसागर टॉस-I एचपीएस	हाइड्रो	315	1121.45	638.45	437.26
		बाणसागर-II एचपीएस	हाइड्रो	30	85.43	75.38	52.3
		बाणसागर-III एचपीएस	हाइड्रो	60	49.86	137.6	147
		बारगी एचपीएस	हाइड्रो	90	382.35	429.84	313.66
		गांधी सागर एचपीएस	हाइड्रो	115	211.68	288.9	106.52
		माधीखेड़ा एचपीएस	हाइड्रो	60	116.5	169.8	33.75
		राजघाट एचपीएस	हाइड्रो	45	74.04	125.61	54.13
		संजय गांधी टीपीएस	कोयला	1340	6631.59	8782.77	4646.39
		सतपुड़ा टीपीएस	कोयला	1330	3449.85	3968.04	2143.02
श्री सिंगाजी टीपीपी	कोयला	2520	9418.46	13167.3	7984.28		
<b>उप-जोड़</b>				<b>24235</b>	<b>134321.17</b>	<b>143147.54</b>	<b>88954.34</b>
नवीकरणीय	पवन			-	4346.66	4486.72	3465.19
	सौर			-	4006.70	3839.30	2094.33
	बायोमास			-	25.35	38.76	50.52
	खोई			-	82.20	113.05	9.94
	लघु जल विद्युत			-	221.43	357.97	273.43
	अन्य			-	34.40	36.93	14.58
<b>कुल जोड़</b>				<b>24235</b>	<b>143037.90</b>	<b>152020.26</b>	<b>94862.33</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-315

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती

315. श्री पी. विल्सन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने तमिलनाडु में बिजली कटौती के कारण आने वाली फ्यूज तारों, ट्रांसफार्मरों, भूमिगत केबलों और मीटरों जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों की कमी का संज्ञान लिया है और समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं कि मानसून के मौसम जिसके परिणामस्वरूप दक्षिणी क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आती है, में तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और बिजली में उतार-चढ़ाव न हो; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण अनुज्ञापित गतिविधि है एवं यह संबंधित वितरण अनुज्ञापितधारी का कर्तव्य है कि वह अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए दक्ष, समन्वित तथा किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे एवं उसे बनाए रखे। सरकार को सूचित किया गया है कि तमिलनाडु की वितरण यूटिलिटी अर्थात् टैजको के पास फ्यूज वायर, ट्रांसफार्मर, भूमिगत केबल (यूजी) एवं मीटर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के माध्यम से डिस्कॉमों में वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं निर्माण को सुगम बनाया है।

हाल ही में, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। यह स्कीम नेटवर्क सुदृढीकरण एवं प्रणाली स्वचालन डीटी संवर्द्धन, नए सब-स्टेशनों का निर्माण, सब-स्टेशनों का उन्नयन, एचवीडीएस, कृषि फीडर पृथक्करण, रिंग मेन्स सप्लाइ सिस्टम (आरएमयू), कंडक्टरों का उन्नयन, केबलिंग कार्य आदि सहित वितरण नेटवर्क के उन्नयन में परिणत होगा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना में निर्दिष्ट आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना कार्यों एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्दिष्ट आपदा प्रतिरोधी कार्यों को भी आरडीएसएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुमति दी जाती है।

आरडीएसएस के अंतर्गत दक्षिणी राज्यों के लिए संस्वीकृति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 315 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य	संस्वीकृत लागत: वितरण अवसंरचना कार्य	जीबीएस: वितरण अवसंरचना कार्य	संस्वीकृत लागत: स्मार्ट मीटरिंग कार्य	जीबीएस: स्मार्ट मीटरिंग कार्य
1	आंध्र प्रदेश	9,292.84	5,575.7	4,127.85	815.39
2	तमिलनाडु	9,066.27	5,439.76	19,235.36	3,398.45
3	केरल	2,346.81	1,408.08	8,231.18	1,413.33
कुल		20,705.92	12,423.54	31,594.39	5,627.17

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-316

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

हाई टेंशन विद्युत खंभों/तारों की नियमित जांच

316. डॉ. कल्पना सैनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कई राज्यों में हाई-टेंशन बिजली के खंभों/तारों के गिरने की कुछ घटनाओं के बाद हाई-टेंशन बिजली के खंभों/तारों की मजबूती की नियमित जांच के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नवीनतम ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण अनुज्ञापित गतिविधि है तथा यह संबंधित वितरण अनुज्ञापितधारी का कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए दक्ष, सुरक्षित तथा किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे एवं उसे बनाए रखे। इसलिए, यह वितरण यूटिलिटीयों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए एचटी/एलटी लाइनों के खंभों/तारों की मजबूती की जांच सहित वितरण प्रणाली के उन्नयन तथा रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करें। उत्तराखंड विद्युत निगम ने सूचित किया है कि विद्युत के सभी खंभों/तारों की संस्थापना से पहले प्रासंगिक आईएस मानक के अनुसार पूरी तरह से जांच/निरीक्षण किया जाता है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के प्रचलित विनियमों और मैनुअल के अनुसार निवारक रखरखाव के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है।

सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 विद्युत स्टेशनों, सब-स्टेशनों, पारेषण एवं वितरण लाइनों के निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है। यह विद्युत स्थापनाओं, ओवरहेड लाइनों और अन्यों के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है। इन विनियमों को सभी विद्युत स्थापनाओं पर लागू किया जाना है, जिसमें विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनें एवं विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार, आपूर्ति अथवा उपभोग जैसी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या संस्थाएं शामिल हैं।

सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 में आपदा संभावित क्षेत्रों/तटीय क्षेत्रों में खंभों/तारों को मजबूत करने के प्रावधान हैं:

- तटीय क्षेत्रों में, रेल पोल अथवा स्पन पोल जैसे उच्च शक्ति वाले खंभों अथवा भूमिगत केबल का उपयोग किया जाएगा।
- जंग को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में नंगे कंडक्टरों पर उपयुक्त इंसुलेटिंग पेंट लगाया जाएगा।

सीईए ने मई 2021 में "तटीय क्षेत्र में साइक्लोन रेजिलिएंट रोबस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (टी एंड डी) इंफ्रास्ट्रक्चर पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट" तैयार की है, जिसे चक्रवातों के प्रभावों से निपटने और उनको कम करने के लिए रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय करने के लिए जून, 2021 में विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को परिचालित किया गया था।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-317  
जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया  
ट्रांसमिशन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली

317. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 में ट्रांसमिशन क्षेत्र में आई अति-प्रतिस्पर्धी बोली के क्या कारण हैं और टैरिफ, यदि कोई हो, पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ख) वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 के बीच प्रतिस्पर्धी बोली के साथ-साथ नामांकन के आधार पर इस उद्योग के खिलाड़ियों को उनके विजेता बोली के साथ प्रदान की गई सभी अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है कि अति-प्रतिस्पर्धी बोली इस क्षेत्र में समान अवसर को खराब कर रही है और इस तरह यह दीर्घ काल में इस क्षेत्र को प्रभावित करेगी; और
- (घ) समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अति-प्रतिस्पर्धी बोली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना तैयार की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क), (ग) और (घ) : पारेषण परियोजनाएं सामान्यतः टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अवॉर्ड की जाती हैं। देश में पारेषण अवसंरचना के विकास में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए टीबीसीबी मार्ग पेश किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 में "पारेषण क्षेत्र में हाइपर-प्रतिस्पर्धी बोली" के बारे में कोई भी आशंका निराधार है।

(ख) : वार्षिक रूप से निर्धारित टैरिफ के साथ वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 की अवधि के दौरान टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से अवॉर्ड की गई पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-I** में संलग्न है। इसी अवधि के दौरान नामांकन के आधार पर दी गई कुल अनुमानित लागत के साथ पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 की अवधि के दौरान टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के अंतर्गत अवॉर्ड की गईं पारेषण परियोजनाएं

क्र.सं.	पारेषण परियोजना	सफल बोलीदाता का नाम	निर्धारित टैरिफ (वार्षिक) (करोड़ रुपये में)	बीपीसी
<b>वित्तीय वर्ष 2020-21</b>				
1	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम- XIX (डब्ल्यूआरएसएस-XIX) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम- IX (एनईआरएसएस-IX)	स्टरलाइट ग्रिड 13 लिमिटेड	256.59	पीएफसीसीएल
2	चरण- II भाग-घ के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	140.40	पीएफसीसीएल
3	चरण II - भाग क के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	39.05	आरईसीपीडीसीएल
<b>वित्तीय वर्ष 2021-22</b>				
4	चरण- II भाग-घ के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	99.70	पीएफसीसीएल
5	कोप्पल पवन ऊर्जा क्षेत्र (कर्नाटक) में आरई स्रोतों से विद्युत की निकासी (2500 मेगावाट)	रीन्यू पारेषण वेंचर प्रा. लिमिटेड	61.13	पीएफसीसीएल
6	नांगलबीबरा में नये 220/132kV सबस्टेशन की स्थापना	स्टरलाइट ग्रिड 26 लिमिटेड	55.86	पीएफसीसीएल
7	चरण-I के अंतर्गत करूर/तिरुपुर पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडु) (1000MW) में आरई स्रोतों से विद्युत की निकासी	अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.35	पीएफसीसीएल
8	चरण-I के अंतर्गत खावड़ा पीएस में 3 गीगावाट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	100.03	पीएफसीसीएल
9	चरण II - भाग बी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को सुदृढ करना	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	72.89	आरईसीपीडीसीएल
10	चरण- II- भाग सी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	163.71	आरईसीपीडीसीएल
11	महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड का संघ	16.74	आरईसीपीडीसीएल
12	गडग (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण स्कीम - भाग क	मैसर्स रिन्यू ट्रांसमिशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	29.7	आरईसीपीडीसीएल
<b>वित्तीय वर्ष 2022-23</b>				
13	चरण- II भाग-जी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	148.41	पीएफसीसीएल

	प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम			
14	400 केवी खंदूखाल (श्रीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) डी/सी लाइन	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	58.72	पीएफसीसीएल
15	चिनाब घाटी एचईपी में पाकलडुल एचईपी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली - कनेक्टिविटी प्रणाली	स्टरलाइट ग्रिड 24 लिमिटेड	38.85	पीएफसीसीएल
16	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXVII (डब्ल्यूआरईएस - XXVII)	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	29.72	पीएफसीसीएल
17	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXVIII (डब्ल्यूआरईएस-XXVIII) एवं "पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXIX (डब्ल्यूआरईएस-XXIX)	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28.69	पीएफसीसीएल
18	चरण- II भाग-ड के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण योजना	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	135.22	पीएफसीसीएल
19	मध्य प्रदेश में राजगढ़ (2500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली।	मैसर्स जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	40.82	आरईसीपीडीसीएल
20	नीमच एसईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	78.38	आरईसीपीडीसीएल
21	पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	35	आरईसीपीडीसीएल
22	गडग (1500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण स्कीम: भाग क-चरण-II	मैसर्स रिन्यू पारेषण वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	24.54	आरईसीपीडीसीएल
23	दक्षिणी क्षेत्र में उच्च आरई परिदृश्य के दौरान अधिशेष विद्युत के निर्यात के लिए पश्चिमी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र में आईएसटीएस नेटवर्क विस्तार स्कीम।	मैसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड	213.48	आरईसीपीडीसीएल
24	अंतर-क्षेत्रीय ईआर-डब्ल्यूआर इंटरकनेक्शन।	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	29.01	आरईसीपीडीसीएल
25	चरण-II - भाग ख, गुजरात के अंतर्गत खावड़ा पीएस में 4.5 गीगावाट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम।	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	110.64	आरईसीपीडीसीएल
26	चरण- II - भाग सी, गुजरात के अंतर्गत खावड़ा पीएस में 4.5 गीगावाट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	281.70	आरईसीपीडीसीएल
27	गुजरात में पारेषण नेटवर्क विस्तार खावड़ा संभावित आरई क्षेत्र से आरई परियोजनाओं के एकीकरण से जुड़ा है।	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	77.33	आरईसीपीडीसीएल
28	खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 (केपीएस2) की स्थापना।	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	69.68	आरईसीपीडीसीएल
29	खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन-3 (केपीएस3) की स्थापना।	मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75.53	आरईसीपीडीसीएल
30	चरण-II - भाग क, गुजरात के अंतर्गत खावड़ा पीएस में 4.5 गीगावाट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	मैसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड	118.90	आरईसीपीडीसीएल

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 की अवधि के दौरान नामांकन के आधार पर [विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) के अंतर्गत] अवॉर्ड किए गए पारेषण परियोजना (आईएसटीएस) नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	पारेषण परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
<b>वित्तीय वर्ष 2020-21</b>		
1	चिनाब घाटी एचईपी में पाकलडुल एचईपी से निकासी विद्युत के लिए पारेषण प्रणाली - एलटीए सिस्टर्न	252
2	मैसर्स एसएपीडीसी - भारतीय भाग के अरुण-3 (900 मेगावाट) एचईपी, नेपाल से विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	179
3	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम (ईआरएसएस)-XXVI	3
4	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम (एनईआरएसएस)-XI	43
5	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम (एनईआरएसएस)-XII	576
6	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम (एनईआरएसएस)-XIII	76
7	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम (एनईआरएसएस)-XIV	75
<b>वित्तीय वर्ष 2021-22</b>		
8	भादला-II पीएस, फतेहगढ़-II पीएस में आरई जनरेटर के लिए 400 केवी बे का कार्यान्वयन	45
9	फतेहगढ़-III (तत्कालीन रामगढ़-II) पीएस में आरई जनरेटर के लिए 400 केवी बे का कार्यान्वयन	9
10	शाहजहाँपुर (पीजी) 400/220 सबस्टेशन पर 220 केवी बे का कार्यान्वयन	4
11	भादला-इल एस/एस में 1x80 एमवीएआर 765 केवी स्पेयर रिपेक्टर का कार्यान्वयन	6
12	1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (8वां) का कार्यान्वयन	35
13	चरण-III भाग ड1 के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (20जीडब्ल्यू)	435
14	चरण-III भाग ड2 के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (20जीडब्ल्यू)	245
15	चरण-III भाग ज के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (20जीडब्ल्यू)	225
16	दुलहस्ती-किशतवाड़-किशनपुर 400 केवी (क्वाड) एस/सी के हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	13
17	आईएसटीएस के अंतर्गत फतेहगढ़-III (तत्कालीन रामगढ़-II) पीएस में आरई जनरेटरों को 400 केवी और 220 केवी बे का अनुदान	75
18	प्रणाली सुदृढीकरण के अंतर्गत सोहावल (पीजी) में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी संवर्द्धन (तीसरा)	30
19	21 दिसंबर की समय सीमा के साथ एचपीपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत 220 केवी करियन - चमेरा पूल लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंग के लिए चमेरा पुलिंग पॉइंट पर एक 220 केवी बे	4
20	400 केवी सबस्टेशन पीजीसीआईएल खटकड़ (जींद) एवं नग्गल (पंचकूला) सबस्टेशन पर 220 केवी बे	16
21	बीकानेर-II पीएस में आरई जनरेटर और 400/220 केवी आईसीटी के लिए 220 केवी बे का कार्यान्वयन	70
22	400/220 केवी लुधियाना (पीजी) सबस्टेशन पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार:	14
23	400/220 केवी कुरूक्षेत्र (पीजी) एवं पटियाला (पीजी) सब-स्टेशनों पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार:	54
24	400/220 केवी जिंद (पीजी) सब स्टेशन पर 2 220 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन	8
25	पीएसटीसीएल द्वारा 400/220 केवी अमृतसर (पीजी) पर 220 केवी लाइन बे की आवश्यकता	5
26	'श्रीनगर-लेह पारेषण प्रणाली' के लिए पारेषण प्रणाली को सुदृढ बनाना	277
27	ईआरईएस-XXVI	27

28	2x315 एमवीए, 400/220 केवीशुजालपुर (पीजी) सबस्टेशन पर आईसीटी अभिवृद्धि	33
29	400 केवी एनपी कुंटा-कोलार एस/सी लाइन के ओवरलोडिंग को कम करने के लिए क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	123
30	अस्तित्व-हिरियूर और कोच्चि एस/एसटीएनएस में परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि	53
31	कुडनकुलम - तिरुनेलवेली 400 केवी (क्वाड) लाइनों पर लोडिंग/अन-बैलेंसिंग को नियंत्रित करने के लिए तिरुनेलवेली में कुडनकुलम - तूतीकोरिन पीएस 400 केवी (क्वाड) डी/सी टाइन के एक सर्किट को बहाल करना	1
32	तूतीकोरिन-II जीआईएस पीएस में 1 230 केवी बे का कार्यान्वयन	5
33	एसआर से डब्ल्यूआर तक विद्युत के निर्यात के लिए कोल्हापुर से परे पारेषण प्रणाली को मजबूत करना - कोल्हापुर (पीजी) - कोल्हापुर 400 केवी डी/सी लाइन का पुनः संचालन	54
34	भाटापारा (पीजी) में 1x500एमवीए 400/220केवी आईसीटी (तीसरा) का विस्तार	30
35	गुजरात में आईएसटीएस से टीसी तक पारेषण नेटवर्क का विस्तार: भाग ख	2077
36	गुजरात में आईएसटीएस से टीसी तक पारेषण नेटवर्क का विस्तार: भाग ग	148
37	गुजरात में आईएसटीएस से टीसी तक पारेषण नेटवर्क का विस्तार: भाग क	70
38	765 केवी वारंगल नई में 765 केवी अतिरिक्त (1-पीएच) रिएक्टर यूनिटों की आवश्यकता	5.5
39	765 केवी चिलकलुरिपेटा में 765 केवी अतिरिक्त (1-पीएच) रिएक्टर यूनिटों की आवश्यकता	5.5
40	765 केवी चिलकलुरिपेटा में स्विचेबल लाइन रिएक्टर को बस रिएक्टर के रूप में उपयोग करने के लिए एनजीआर को बायपास करने की स्कीम	0.32
41	765/400 केवी कुरनूल (नया) पर 1 400 केवी बे	9
42	इंदौर एस/एस में दोष स्तर को नियंत्रित करने की स्कीम	15
43	वर्धा-औरंगाबाद 400केवी डी/सी लाइन से जुड़े 40% एफएससी का वर्धा एस/एस में 40केए से 50केए शॉर्ट सर्किट स्तर तक उन्नयन	15
44	देहगाम (पीजी) एवं रणछोड़पुरा (जीईटीसीओ) एस/एस में दोष स्तर नियंत्रण के लिए स्कीम	1
45	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXVI (डब्ल्यूआरआईएस-XXVI)	95
46	तूतीकोरिन-II (जीआईएस) पीएस में 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (5 <sup>मं</sup> ) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि	49
47	लेह में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों से आरई विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (5गीगावाट लेह-कैथल पारेषण कॉरिडोर)	20,773.70
<b>वित्तीय वर्ष 2022-23</b>		
48	एसजेवीएन लिमिटेड की 1000 मेगावाट सौर परिसकीम के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-द्वितीय पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 1 का कार्यान्वयन।	11.62
49	भीनमाल (पीजी) सबस्टेशन में 1x315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि।	17.61
50	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम -XXVII (ईआरआईएस-XXVII)	47.62
51	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XVII (एनईआरआईएस -XVII)	2
52	रायगढ़ (पीजी) सबस्टेशन में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार।	45.52
53	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXX (डब्ल्यूआरआईएस-XXX):	26.64
54	सौर परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-II पीएस पर 2 220 केवी लाइन बे (एसीएमई सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रेरकग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड) का कार्यान्वयन	38.56
55	अरासुर सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (चौथा) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि:	61
56	होसुर सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (चौथा) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि:	46
57	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXV (डब्ल्यूआरआईएस -XXV)	210
58	फतेहगढ़-II पीएस में एन-1 आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए फतेहगढ़-II पीएस में 1x500MVA 400/220kV आईसीटी (छठे) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि।	55.68
59	बीकानेर पीएस में एन-1 आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि ।	45.52
60	पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी पारेषण लाइनों पर प्रतिक्रियाशील विद्युत मुआवजा।	76.1

61	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXXI (ईआरईएस -XXXI)।	35.39
62	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XIX (एनईआरईएस -XIX)।	15.6
63	आरई इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी बे के साथ कल्लम पीएस में 2x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा और चौथा) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि।	156.89
64	एचवीपीएनएल पारेषण स्कीमों के इंटरकनेक्शन के लिए आईएसटीएस की अभिवृद्धि	117.05
65	डब्ल्यूआर-एनआर अंतर क्षेत्रीय कॉरिडोर (400 केवी भीनमालज़ेरडा लाइन) की उच्च लोडिंग से राहत देने की स्कीम	288.69
66	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीमXXIX (ईआरईएस XXIX)	422.23
67	विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली राजस्थान आरईजेड पीएचIV (भाग-1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) भाग-ई	368
68	मौजूदा मुख्य लाइनों पर ओपीजीडब्ल्यू की आपूर्ति और स्थापना, जिन्हें विभिन्न पारेषण स्कीमों के तहत एलआईएलओ किया जाना है।	59.5
69	मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (300 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भुज पीएस में 1 220 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन	5.84
70	राजगढ़ (पीजी) सबस्टेशन पर मेसर्स वीईएच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली।	29.33
71	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम XXXI (डब्ल्यूआरईएस -XXXI): भाग ग	86.01
72	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम XXXIII (डब्ल्यूआरईएस -XXXIII): भाग घ	77.52
73	220 केवी डेराबस्सी सबस्टेशन के साथ इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी पंचकुला (बरवाला) (पीजी) सबस्टेशन पर 2220 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन।	11.68
74	400/220 केवी लुधियाना (पीजी) सबस्टेशन पर 1x315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (आईसीटी-1) का 1x500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी के साथ प्रतिस्थापन	26.98
75	765/400/220 केवी मोगा (पीजी) सबस्टेशन पर 1x250 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी का 1x500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी के साथ प्रतिस्थापन और 220 केवी स्तर पर संबंधित कार्य	27.03
76	400/220 केवी पतरण (जीआईएस) सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरे) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि	65.19
77	सौर परिस्कीम (मैसर्स एनएचपीसी लिमिटेड) के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-II पीएस पर 1,220 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन :	29.21
78	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXX (ईआरईएस -XXX)	11.64
79	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXXIII (ईआरईएस -XXXIII)	23.08
80	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XVIII (एनईआरईएस -XVIII)	11.44
81	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XX (एनईआरईएस -XX)	77.04
82	मेसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुरनूल न्यू सबस्टेशन में 1 400 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन । लिमिटेड ( मैसर्स ग्रीनको के लिए दूसरी 400kV लाइन बे)	8.55
83	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXXII (ईआरईएस -XXXII)	25.83
84	मैसर्स एएलएफ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड के आरई विद्युत पार्क के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-II पीएस पर 2 220 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन	11.68
85	कर्नाटक में मैसूर सबस्टेशन पर 1x500एमवीए,400/220 केवी आईसीटी (चौथा) द्वारा परिवर्तन क्षमता की अभिवृद्धि	52.51
86	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम XXXIII (डब्ल्यूआरईएस -XXXIII): भाग ए	126.09
87	चरण II- भाग घ के तहत खावड़ा पीएस में 4.5 गीगावॉट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	221
88	चरण-III के तहत खावड़ा आरई पार्क से अतिरिक्त 7 गीगावॉट आरई विद्युत के एकीकरण से जुड़े नवसारी (नए) सबस्टेशन में आईसीटी संवर्धन	58.52
89	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम XXXIII (डब्ल्यूआरईएस -XXXIII): भाग ख1	19
90	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम XXXIII (डब्ल्यूआरईएस -XXXIII): भाग ग1	0.5

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-318  
जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

विद्युत ग्रिड का विस्तार

318. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान लक्षित और वास्तविक रूप से स्थापित बिजली लाइनों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने ऊर्जा मांग में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए भविष्य में ग्रिड के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ग) भारतीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को शामिल करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या यह सच है कि मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के बीच के अंतर का कारण नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च शेरों को समायोजित करने में भारतीय ग्रिड की असमर्थता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में पिछले पांच (5) वर्षों में स्थापित पारेषण लाइनों (220 केवी और उससे अधिक) के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लक्षित विद्युत लाइन (सीकेएम)	वास्तविक विद्युत लाइन (सीकेएम)
2018-19	22,647	22,437
2019-20	23,621	11,664
2020-21	15,791	16,750
2021-22	19,255	14,895
2022-23	14,581	14,625
2023-24(अक्टूबर-23 तक)	11,420	7,026
कुल	1,07,315	87,397

(ख) : विद्युत की बढ़ती मांग और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अनुरूप नेशनल ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। देश में प्रति वर्ष औसतन लगभग 16,000 सीकेएम पारेषण लाइनें और 75,000 एमवीए की परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर) जोड़ी जा रही हैं।

(ग) : दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय ग्रिड में लगभग 179 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (जलविद्युत सहित) संस्थापित है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
सौर	72,018
जलविद्युत	51,837
पवन	44,292
बायोमाँस	10,262
अन्य	573
<b>कुल</b>	<b>1,78,982</b>

(घ) : राष्ट्रीय ग्रिड मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से उत्पादन को समायोजित करने में पूरी तरह सक्षम है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-319

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए उठाए गए कदम

319. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा बिजली परियोजनाओं से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) वर्ष 2018 से सरकार द्वारा कितनी नई बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, उनका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा किसी तापीय विद्युत संयंत्र को बंद किया गया है तथा उसके स्थान पर एक नवीकरणीय और गैर-प्रदूषणकारी परियोजना शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) प्रदूषण फैलाने वाले तापीय संयंत्रों को गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा परियोजनाओं में स्थानांतरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत परियोजनाओं से कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- i. विद्युत मंत्रालय प्रति वर्ष 30,000 टन से अधिक तेल समतुल्य (टीओई) ऊर्जा की खपत करने वाले ताप विद्युत केंद्रों सहित बड़े ऊर्जा सघन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र अर्थात् निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, लगभग 197 गीगावाट क्षमता वाले 226 ताप विद्युत केंद्र शामिल किए गए हैं। इस स्कीम में सभी ताप विद्युत केंद्रों को तीन वर्ष की अवधि के चक्र में अपनी निवल ऊष्मा दर कम करना अधिदेशित है जिसके परिणामस्वरूप कोयले की खपत कम होती है तथा इस प्रकार CO<sub>2</sub> के उत्सर्जन में कमी आती है। वर्ष 2020-21 तक की स्थिति के अनुसार, ऊर्जा के संदर्भ में बचत लगभग 7.21 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) है, जो इन ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) से CO<sub>2</sub> के उत्सर्जन में लगभग 27.51 मिलियन टन की कमी के समतुल्य है।
- ii. दक्षता में सुधार के लिए कई टीपीपी ने दक्ष प्रौद्योगिकियों अर्थात् सबक्रिटिकल से सुपरक्रिटिकल का उपयोग अपनाया है और अब अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कोयले की खपत और उत्सर्जन में कमी आई है। दिनांक 31.10.2023 तक 63830 मेगावाट (92 यूनिट) और

2120 मेगावाट (03 यूनिट) की कुल क्षमता वाली सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल यूनिटें आरंभ की गई हैं।

- iii. जनवरी, 2018 से दिनांक 15.10.2023 तक लगभग 8059.92 मेगावाट क्षमता की 99 अदक्ष और पुरानी ताप विद्युत उत्पादन यूनिटें पहले ही बंद हो चुकी हैं।
- iv. घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग पर कृषि अवशेष आधारित बायोमास के उपयोग के लिए दिनांक 08.10.2021 को नीति जारी की गई थी, जिसमें ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के साथ को-फायर किए गए बायोमास के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।
- v. दिनांक 31.10.2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 186.46 गीगावाट क्षमता संस्थापित की गई है, जिसमें 178.98 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा और 7.48 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा शामिल है। यह हमारी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 43% है। वर्ष 2030 तक भारत की 50% संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता गैर-जीवाश्म यूनिटों से होगी।

**(ख) :** दिनांक 31-10-2023 (वित्तीय वर्ष 2023-24) तक की स्थिति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से ग्रिड में 25,091.91 मेगावाट की राष्ट्रीय ताप क्षमता जोड़ी गई है। इसके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**(ग) और (घ) :** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, उत्पादन अनुज्ञप्तिरहित गतिविधि है तथा उत्पादन यूटिलिटी/कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक विवेचन के आधार पर यूनिटों को चरणबद्ध तरीके से बंद/समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना।
- ii. सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया, पम्पड भंडारण संयंत्रों तथा ऊर्जा भंडारण स्रोतों की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट।
- iii. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए वर्ष 2029-30 तक की ट्रेजेक्ट्री की अधिसूचना।
- iv. बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- v. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12,000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज-II आदि जैसी स्कीमें।
- vi. नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों को बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना।
- vii. ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवाल्टेयिक (पीवी), पवन तथा सौर पवन हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश।
- viii. हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु अधिसूचना।
- ix. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की बिक्री को सुगम बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) का शुभारंभ।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 319 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष-2018 से शुरू की गई ताप विद्युत परियोजनाएं							
	क्षेत्र	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	ईंधन	यूनिट सं.	जोड़ी गई क्षमता (मेगावाट)
<b>वित्तीय वर्ष 2018-19</b>							
1	केंद्रीय	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	कोयला	यू-3	250
2	केंद्रीय	बिहार	नबीनगर टीपीपी	एनटीपीसी एंडबीआरबीसीएल	कोयला	यू-3	250
3	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	गाडरवारा टीपीपी	एनटीपीसी	कोयला	यू-1	800
4	केंद्रीय	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	कोयला	यू-2	660
<b>कुल केंद्रीय क्षेत्र</b>							<b>1960</b>
5	राज्य	मध्य प्रदेश	श्री सिंगाजी टीपीपी चरण-II	एमपीपीजीसीएल	कोयला	यू-3	660
6	राज्य	मध्य प्रदेश	श्री सिंगाजी टीपीपी चरण-II	एमपीपीजीसीएल	कोयला	यू-4	660
7	राज्य	तेलंगाना	कोठागुडेम टीपीएस चरण-VII	टीएसजेनको	कोयला	यू-1	800
8	राज्य	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटेंशन	आरवीयूएनएल	कोयला	यू-6	660
9	राज्य	असम	लकवा रिप्लेसमेंट विद्युत परियोजना (7x9.965 मेगावाट)	एपीजीसीएल	गैस	जीटी	69.76
<b>कुल राज्य क्षेत्र</b>							<b>2849.76</b>
10	निजी	मध्य प्रदेश	माहन टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लिमिटेड/चीनी	एस्सार पावर एमपी लिमिटेड	कोयला	यू-2	600
11	निजी	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावर	कोयला	यू-4	360
12	निजी	पश्चिम बंगाल	दिशेरगढ़ टीपीएस	आईपीसीएल	कोयला	यू-1	12
<b>कुल निजी क्षेत्र</b>							<b>972</b>
<b>कुल वित्तीय वर्ष 2018-19</b>							<b>5781.76</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2019-20</b>							
13	केंद्रीय	बिहार	नबी नगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	कोयला	यू-1	660
14	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	खरगोन एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-1	660
15	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	खरगोन एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-2	660
16	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी चरण-II	एनटीपीसी	कोयला	यू-5	660
17	केंद्रीय	ओडिशा	दर्लिपल्ली एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-1	800
18	केंद्रीय	तमिलनाडु	नेवेली न्यू टीपीपी	एनएलसी	लिग्नाइट	यू-1	500
<b>कुल केंद्रीय क्षेत्र</b>							<b>3940</b>
19	राज्य	गुजरात	वानाकबोरी टीपीएस एक्सटेंशन	जीएसईसीएल	कोयला	यू-8	800
20	राज्य	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	ओपीजीसी	कोयला	यू-3	660
21	राज्य	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	ओपीजीसी	कोयला	यू-4	660
22	राज्य	राजस्थान	सूरतगढ़ एसटीपीपी	आरवीयूएनएल	कोयला	यू-7	660
<b>कुल राज्य क्षेत्र</b>							<b>2780</b>
23	निजी	मध्य प्रदेश	बीएलए पावर प्राइवेट लिमिटेड (निवाड़ी) टीपीपी	बीएलए पावर प्राइवेट लिमिटेड	कोयला	यू-2	45
<b>कुल निजी क्षेत्र</b>							<b>45</b>
<b>कुल वित्तीय वर्ष 2019-20</b>							<b>6765</b>

वित्तीय वर्ष 2020-21							
24	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	कोयला	यू-2	800
25	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम	कोयला	यू-2	660
26	केंद्रीय	तमिलनाडु	नेवेली न्यू टीपीपी	एनएलसी	लिंगनाइट	यू-2	500
27	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	गाडरवारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	कोयला	यू-2	800
28	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	टांडा चरण-II	एनटीपीसी	कोयला	यू-6	660
29	केंद्रीय	बिहार	नबी नगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	कोयला	यू-2	660
कुल केंद्रीय क्षेत्र							4080
30	राज्य	असम	नामरूप सीसीजीटी-गैस	एपीजीसीएल	गैस	एसटी	36.15
31	राज्य	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजेनको	कोयला	यू-1	270
32	राज्य	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजेनको	कोयला	यू-2	270
33	राज्य	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजेनको	कोयला	यू-3	270
कुल राज्य क्षेत्र							846.15
कुल वित्तीय वर्ष 2020-21							4926.15
वित्तीय वर्ष 2021-22							
34	केंद्रीय	ओडिशा	दलिपल्ली एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-2	800
35	केंद्रीय	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी, चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-1	660
36	केंद्रीय	बिहार	नबीनगर टीपीपी	बीआरबीसीएल	कोयला	यू-4	250
37	केंद्रीय	बिहार	नबी नगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	कोयला	यू-3	660
कुल केंद्रीय क्षेत्र							2370
38	राज्य	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	आरआरवीयूएनएल	कोयला	यू-8	660
39	राज्य	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजेनको	कोयला	यू-4	270
40	राज्य	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सपेंशन-II	यूपीआरवीयूएनएल	कोयला	यू-1	660
कुल राज्य क्षेत्र							1590
41	निजी	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी, चरण-IV	एसईपीसी	कोयला	यू-1	525
कुल निजी क्षेत्र							525
कुल वित्तीय वर्ष 2021-22							4485
वित्तीय वर्ष 2022-23							
42	केंद्रीय	झारखंड	उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीपी	एनटीपीसी	कोयला	यू-1	660
कुल केंद्रीय क्षेत्र							660
43	राज्य	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीवैया टीपीपी चरण-II	एपीपीडीसीएल	कोयला	यू-1	800
कुल राज्य क्षेत्र							800
कुल वित्तीय वर्ष 2022-23							1460
वित्तीय वर्ष 2023-24							
44	केंद्रीय	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी, चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-2	660
45	केंद्रीय	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	कोयला	यू-1	800
कुल केंद्रीय क्षेत्र							1460
46	निजी	उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी, फेज-II	मैसर्स एसईपीएल	आर- एलएनजी	मोड-2	214
कुल निजी क्षेत्र							214
कुल वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31-10-2023 तक)							1674
कुल जोड़ 2018-24							25,091.91

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-320

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023 को दिया गया

तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टैजेंडको) में घाटा

320. श्री सी.वी. षनुगमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह जानती है कि तमिलनाडु में टैजेंडको को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि जनता को 'कम घाटा' दिखाने के लिए इस कंपनी को तीन हिस्सों में बांटा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) टैजेंडको को संकट से उबारने के लिए केन्द्र द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित 'विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टैजेंडको) के लाभ/हानि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

करोड़ रुपये में

टैजेंडको	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
प्रोद्भवन आधार पर लाभ/हानि (पीएटी)	(11,965)	(13,407)	(11,955)

(ग) और (घ) : पुनर्गठन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) : केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान के रूप में और आरईसी और पीएफसी से ऋण के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 320 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(i) आरईसी एवं पीएफसी से टैजको को वित्तीय सहायता (ऋण) (दिनांक 23.09.2008 से 30.06.2023 तक) इस प्रकार है:

श्रेणी	संस्वीकृत (करोड़ रुपये)	जारी (करोड़ रुपये)	बकाया (करोड़ रुपये) (दिनांक 21.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार)
वितरण परियोजनाएं	13,464.07	7,927.61	6,242.12
उत्पादन परियोजनाएं	55,556.56	43,503.18	32,133.16
बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं > 25 मेगावाट	1,450.00	1,142.64	1,128.31
अन्य	585.66	386.68	384.75
आरएंडएम	1,503	1,314	752
परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)	15,000	14,655	13,950
विशेष दीर्घकालिक संक्रमणकालीन ऋण (एसएलटीटीएल)	30,230	26,797	26,795
<b>कुल</b>	<b>1,25,828.59</b>	<b>95,725.19</b>	<b>81,385.82</b>

(ii) टैजको को वित्तीय सहायता (भारत सरकार से अनुदान):

(क) पूर्व की स्कीमों के अंतर्गत:

स्कीम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये)
डीडीयूजीजेवाई	1,344	919	885
आईपीडीएस	1,745	1,050	1,049
आर-एपीडीआरपी	2,786	789	779

(ख) चालू संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत:

	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आज तक जारी जीबीएस (करोड़ रुपये)
हानि न्यूनीकरण कार्य	9,066	5,440	267.97
स्मार्ट मीटरिंग कार्य	19,235	3,398	0

\*\*\*\*\*